भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2024 का प्रारूप

फा.सं. आईआरडीएआई/आरई/.....- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14(2)(ङ) और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा 2 के खंड (जेडडी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**
   (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2024 कहलाएँगे।
   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
   (3) इन विनियमों की समीक्षा आईआऱडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2024 के प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जाएगी, जब तक इनकी समीक्षा, निरसन अथवा संशोधन की आवश्यकता इसके पहले उत्पन्न नहीं होती।
2. **उद्देश्यः** इन विनियमों के उद्देश्य हैं :
   (1) बीमा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास और पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के साथ ही, बीमा क्षेत्र में नवोन्मेषण को सुसाध्य बनाना।
   (2) विनियामक सैंडबाक्स परिवेश को सुसाध्य बनाना तथा प्राधिकरण द्वारा बनाये गये किन्हीं वर्तमान विनियमों के ऐसे उपबंधों को एक सीमित विस्तार और सीमित अवधि के लिए शिथिल करना, यदि प्रयोग की अवधि के दौरान ऐसा शिथिलन आवश्यक हो।
3. **परिभाषाएँ :**
   (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-
      क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 अभिप्रेत है;
      ख) "आवेदक" में निम्नलिखित शामिल हैं
         (i) कोई बीमाकर्ता अथवा
         (ii) कोई मध्यवर्ती अथवा बीमा मध्यवर्ती अथवा
         (iii) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में न्यूनतम निवल मालियत (नेट वर्थ) से युक्त किसी व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति अथवा
         (iv) भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए एकल रूप से या संयुक्त रूप से अनुमति की अपेक्षा करनेवाला प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति;
      ग) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत हैः
   (i) अध्यक्ष, या
   (ii) ऐसा पूर्णकालिक सदस्य या प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्यों या ऐसे अधिकारी (अधिकारियों) की ऐसी समिति, जैसा कि अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाएगा;

ङ) "विनियम" से अधिनियम की धारा 2 (16ए) के अंतर्गत परिभाषित रूप में प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

च) "विनियामक सैंडबाक्स" से वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रयुक्त परिवेश अभिप्रेत है, जो नये व्यवसाय माडलों, प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों के लिए परीक्षण आधार उपलब्ध कराता है जो वर्तमान विनियमों के द्वारा आवश्यक रूप से पूर्णतः कवर नहीं किये जाते अथवा उनका पूर्णतः अनुपालन नहीं करते।

छ) "सैंडबाक्स परिवेश" से एक विशिष्ट समयावधि के लिए परीक्षण के लिए अभिकल्पित एक परीक्षण परिवेश अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन अधिसूचित नियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों या नियमों या विनियमों, जैसी स्थिति हो, में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II
भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए अनुमति की अपेक्षा करने की प्रक्रिया

4. आवेदन की श्रेणियाँ

आवेदक समूचे बीमा चक्र के अंतर्गत भारत में बीमा में तथा उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पूँजी, चलनिधि, निवेश, शोधन-क्षमता, आरक्षण निधीयन (रिज़र्विंग) जैसे विवेकपूर्ण और वित्तीय स्थिति/स्थिरता संबंधी विषयों से संबद्ध हैं, ऐसे किसी भी क्षेत्र में जिसके लिए विनियमों, अधिसूचना, मास्टर परिपत्र, दिशानिर्देशों, परिपत्र या प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी अन्य सूचना-पत्र में किसी भी उपबंध से छूट की आवश्यकता है, तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये जानेवाले ऐसे अन्य क्षेत्रों में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने या कार्यान्वित करने के लिए अनुमति माँगते हुए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

5. भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन

(1) भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने अथवा उसे कार्यान्वित करने का इच्छुक आवेदक प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट फार्म में इलेक्ट्रानिक तौर पर आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) आवेदन के साथ विनिर्दिष्ट रूप में वापस न करने योग्य शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण आवेदकों के लिए अपने द्वारा योग्य समझे गये रूप में पात्रता के मानदंड निर्धारित कर सकता है।

(4) प्राधिकरण आवेदक, जिसे अनुमति प्रदान की गई हो, के विनियामक सैंडबाक्स के प्रयोग के स्तर, देयताओं और दायित्वों के लिए सीमाएँ निर्धारित कर सकता है, जैसा कि वह उपयुक्त समझता है।

6. अनुमति प्रदान करने के लिए शर्तें

(1) सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक पात्रता के मानदंडों और अन्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, तथा यह कि आवेदनः

क) भारत में बीमा क्षेत्र के लिए लाभदायक नवोन्मेषण को बढ़ावा देता है, और

ख) पालिसीधारकों के हित में है; अथवा

ग) उद्योग की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए सहायक है; अथवा

घ) देश में बीमा व्यापन में वृद्धि को बढ़ावा देगा; अथवा

ङ) बीमा व्यवसाय में कार्यकुशलता लाएगा; अथवा

च) बीमा व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करता है;

इस शर्त के अधीन कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और सभी अन्य संगत संविधियों/विनियम के संबंधित उपबंधों का अनुपालन करता है, अनुमति प्रदान कर सकता है।

(2) प्रदान की गई अनुमति विनिर्दिष्ट प्रयोग अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(3) अनुमति प्रदान करने से संबंधित विषयों पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

7. अनुमति का प्रतिसंहरण

सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार प्रदान की गई अनुमति का प्रतिसंहरण कर सकता है (वापस ले सकता है), यदि उसकी राय में किये गये कार्यकलापः

(क) उपर्युक्त विनियम 6 में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करते अथवा

(ख) बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा अन्य प्रयोज्य विधियों के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं।

8. **पहली अनुमति का समय-विस्तार**

(1) यदि प्रयोग की अवधि के अंत में आवेदक समय के विस्तार की अपेक्षा करता है, तो अब तक प्रस्ताव के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण के साथ समय बढ़ाने की अपेक्षा करने के लिए कारण बताते हुए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है।

(2) सक्षम प्राधिकारी आवेदक के अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

(3) किसी भी परिस्थिति में आवेदक को विनिर्दिष्ट समय का कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

(4) विनियम 7 में उल्लिखित रूप में अनुमति के प्रतिसंहरण से संबंधित खंड आवश्यक परिवर्तनों के साथ उक्त विस्तार-अवधि के लिए लागू होगा।

9. **प्रणालियों और नियंत्रणों की आंतरिक निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन**

(1) अनुमोदन प्रदान करने के बाद, आवेदक निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगाः
   क) कि प्रणालियों की समग्रता का अनुरक्षण हर समय किया जाता है।
   ख) पालिसीधारक संबंधी डेटा की गोपनीयता का अनुरक्षण किया जाता है।
   ग) उसके नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और रक्षोपायों की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त आंतरिक व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं।

(2) जहाँ प्रस्ताव का निष्पादन करने में कोई विचलन पाया जाता है, वहाँ आवेदक इसकी सूचना प्राधिकरण को तत्काल देगा।

(3) प्रयोग / परीक्षण के चरण के दौरान ग्राहक या व्यवसाय जोखिमों के लिए उत्पन्न होनेवाली कोई भी देयता विनियामक सैंडबाक्स में प्रवेश करनेवाले आवेदक व्यक्ति/संस्था के जिम्मे पर पड़ेगी तथा प्राधिकरण ऐसी कोई देयता स्वीकार नहीं करेगा।

10. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की समीक्षा

(1) सक्षम प्राधिकारी संपर्क के एकल स्थान (एसपीओसी) के माध्यम से नियमित अंतरालों पर प्रस्ताव की प्रगति की समीक्षा करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी आवेदक का मार्गदर्शन भी सुझावों के रूप में और उपयुक्त समझे जानेवाले किसी अन्य प्रकार से कर सकता है। तथापि, आवेदक प्रस्ताव के संबंध में की गई प्रत्येक कार्रवाई के लिए एकमात्र तौर पर उत्तरदायी होगा तथा कानूनी दायित्वों सहित उसके अंतर्गत सभी दायित्वों का निर्वहण करने के लिए जिम्मेदार होगा।

11. प्रस्ताव का निष्कर्ष

(1) विनिर्दिष्ट रूप में आबंटित समयावधि के समाप्त होने पर, आवेदक 15 दिन के अंदर सक्षम प्राधिकारी को पालिसीधारकों से प्राप्त प्रतिसूचना (फीडबैक) के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि प्रस्ताव ने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया है तथा विनिर्दिष्ट रूप में अन्य सूचना अथवा विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक एक कार्य-योजना भी प्रस्तुत करेगा कि प्रस्ताव को कैसे वर्तमान विनियामक ढाँचे के अंतर्गत लाया जाएगा।

(2) आवेदक की रिपोर्ट की जाँच करने के उपरांत, यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि प्रस्ताव के उद्देश्य पूरे किये गये हैं, तो वह आवेदक को वर्तमान विनियामक ढाँचे के अंतर्गत अपनाने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है जिसमें बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अतिरिक्त, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, सभी विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्र आदि वर्तमान विनियामक ढाँचे में अंतरित होने की तारीख से लागू होंगे।

(3) आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जाँच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि प्रस्ताव के उद्देश्य पूरे नहीं किये गये हैं, तो आवेदक को निदेश दिया जा सकता है कि वह प्रस्ताव को बंद करे।

(4) आवेदक प्रस्ताव के समय-पूर्व समापन की इच्छा भी कर सकता है, यदि वह महसूस करता है कि प्रस्ताव अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकेगा। समय-पूर्व समापन के लिए ऐसा अनुरोध कम से कम एक महीना पहले अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी ऐसे अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा तथा अपने द्वारा योग्य समझी जानेवाली शर्तों के अधीन तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा।

(5) प्रस्ताव के अंतर्गत प्रक्रियाओं का समापन होने पर, आवेदक का यह कर्तव्य होगा कि वह सहभागियों के समस्त व्यक्तिगत डेटा को मिटा दे और सक्षम प्राधिकारी को इस आशय का पुष्टीकरण दे।

(6) प्रस्ताव को आगे जारी रखने की अनुमति दी जाए या नहीं, इस संबंध में सक्षम प्राधीकारी का निर्णय अंतिम होगा।

12. **अंतर-विनियामक सैंडबाक्स प्रस्ताव**

ऐसे विनियामक सैंडबाक्स आवेदनों, जो एक से अधिक वित्तीय क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया और क्रियाविधियाँ प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होंगी।

अध्याय III
विविध

13. विनियामक सैंडबाक्स में किसी आवेदक को किसी भी विनियम के उपबंधों से छूट प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्ति –

प्राधिकरण का अध्यक्ष आवेदक के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किसी(किन्हीं) विनियम(मों) के एक या उससे अधिक उपबंधों अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किन्हीं दिशानिर्देशों अथवा परिपत्रों की प्रयोज्यता से, विनियम 6 में उल्लिखित शर्तों और आवश्यक समझे गये रूप में किन्हीं अन्य शर्तों के अधीन छूट प्रदान कर सकता है। तथापि, बीमा अधिनियम, 1938 अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा किन्हीं अन्य प्रयोज्य स्थिति रखनेवाली संविधियों के अनुपालन के संबंध में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

14. **प्राधिकरण की अतिरिक्त शक्तियाँ**

(1) सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदक से किसी भी दस्तावेज, अभिलेख या सूचना-पत्र को मँगाने, उसका निरीक्षण करने या उसकी जाँच करने का अधिकार होगा।

(2) उपर्युक्त के होने के बावजूद, जहाँ प्राधिकरण की राय है कि आवेदक के परिचालन भारतीय बीमा बाजार या बीमा पालिसीधारकों के हित में नहीं हैं, वहाँ प्राधिकरण के पास कोई भी कारण बताये बिना, आवेदक को प्रदान की गई अनुमति के निलंबन या निरसन सहित सभी उपयुक्त कार्रवाइयाँ करने का अधिकार सुरक्षित है।

(3) प्राधिकरण का अध्यक्ष सैंडबाक्स प्रस्तावों के परिणाम के आधार पर विनियामक सैंडबाक्स, एवं दिशानिर्देशों से संबंधित परिचालनगत विषयों, तथा उपयुक्त समझे जानेवाले ऐसे अन्य संगत विषयों के संबंध में मास्टर परिपत्र जारी कर सकता है।